सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–02 **मंगलवार, दिनांक–23 जुलाई, 2024 ई०।**

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.15 बजे पूर्वाह्न तक

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी माँगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नोत्तर काल है, आपका जो जी विषय है उसे सही समय पर उठायें।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

(iii) 179 तारांकित प्रश्न अनागत।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में खड़े रहे।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि यदि विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को रखें, तो सरकार उनकी बात का संज्ञान लेकर अपना पक्ष रखने को तैयार है।

विपक्ष के शोरगुल पर आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। उचित समय पर सरकार जवाब देगी। फिर भी माननीय सदस्यगण शांत नहीं हुए। आसन द्वारा बार–बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 12:00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(12.00 बजे मध्याह्न से 12:15 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

स्थगनोपरान्त सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः अपनी मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

1. माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–323(2) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2021–2022 एवं 2022–2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
2. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–99 के तहत् अधिसूचना संख्या–एस०ओ०–221 एवं 222, दिनांक–15.06.2023 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
3. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना संख्या–एस०ओ०–60, दिनांक–23.01.2024; एस०ओ०–59, दिनांक–04.01.2024; एस०ओ०–358, 357, दिनांक–23.11.2023; एस०ओ०–353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, दिनांक–19.10.2023; एस०ओ०–344, 343, 342, दिनांक–17.10.2023; एस०ओ०–264, 263, 262, 261, 260, 259, दिनांक–05.10.2023; एस०ओ०–243, 242, 241, 240, 239, दिनांक–30.09.2023; एस०ओ०–236, 235, 234, 233, 232, 231 दिनांक–21.08.2023; एस०ओ०–229, 228, 227, 226 एवं 225, दिनांक–26.07.2023 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
4. माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, श्री प्रेम कुमार द्वारा बिहार वन्य प्राणी संरक्षण नियमावली, 1973; बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन (विनियमन) नियमावली–1973; बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन (विनियमन)(संशोधन) नियमावली–2002; बिहार वृक्ष विक्रय नियमावली, 2004; बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017; राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र (स्थापना एवं संचालन) उप नियम, 2014; बिहार वन सेवा नियमावली, 2013; बिहार वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2013; बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2020; बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013; बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018; बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते), नियमावली, 2020; बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग, क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2013; बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग, क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली–2017 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
5. माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–101(3) के तहत बिहार दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2004 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
6. माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा–18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2021–2022 के वार्षिक लेखा की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम, श्री राम रतन सिंह, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राम बली सिंह यादव, श्री महा नंद सिंह, श्री संदीप सौरभ, श्री अरूण सिंह, श्री सुर्यकान्त पासवान, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री विनय कुमार गुप्ता, श्री गोपाल रविदास, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं माननीय सदस्य, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, श्री शकील अहमद खाँ, श्री अजय कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री रामानुज प्रसाद, श्री मुकेश कुमार यादव तथा माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा

दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

[4] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i) श्री मुरारी मोहन झा
(ii) श्री रामचन्द्र प्रसाद
(iii) श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव
(iv) श्री प्रमोद कुमार सिन्हा
(v) श्री राम सिंह
(vi) श्री अरूण कुमार सिंह
(vii) श्रीमती कविता देवी

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये। आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने–अपने स्थान पर जाकर अपनी बात को रखने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02:40 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा केन्द्रीय बजट में बिहार के विकास हेतु अद्वितीय मदद के लिए केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की तरफ से आभार प्रकट किया गया।

[5] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :–

i. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री नितिन नवीन द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव; माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव; माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुपथित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024**

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव; श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुपथित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल ईमान द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[6] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 35 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

आसन द्वारा आज के लिए प्राप्त सभी शून्यकाल की सूचनाओं को शून्यकाल समिति को सौंपे जाने की घोषणा की गयी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक–23.07.2024

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।